"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 जून 2003—आषाढ़ 9, शक 1925

वित्त एवं योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जून 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/51/2003/वाक/पांच (62).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 2 के खण्ड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक ए-5-1-94-विक-पांच (18) दिनांक 1-4-1995 में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

संशोधन

1. अधिसूचना में प्रविष्टि क्रमांक (उन्नीस) की निम्नलिखित प्रविष्टि को विलोपित किया जाए-

   (तीन) स्टील रॉड्स के उपयोग से स्टील वायर खींचना

2. यह संशोधन 1-7-2003 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जून 2003

क्रमांक एफ-10/51/2003/वाक/पांच (62).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/51/2003/वाक/पांच (62), दिनांक 30-6-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 30th June 2003

NOTIFICATION

No. F-10/51/2003/CT/V (62).—In exercise of powers conferred by clause (o) of Section 2 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendment in the notification No. A-5-1-94-ST-V (18), dated 1-4-95 :-

AMENDMENT

1. In the Notification the following entry of entry No. (xix) shall be omitted-

   (iii) drawing of steel wires out of steel rods

2. This amendment shall come into force with effect from 1-7-2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 30 जून 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/51/2003/वाक/पांच (63).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-10/29/2002/वाक/पांच (38) दिनांक 27-3-2002 में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

संशोधन

1. अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 5 से संबंधित प्रविष्टि को विलोपित किया जाए.

2. यह संशोधन 1-7-2003 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जून 2003

क्रमांक एफ-10/51/2003/वाक/पांच (63).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/51/2003/वाक/पांच (63), दिनांक 30-6-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 30th June 2003

NOTIFICATION

No. F-10/51/2003/CT/V (63).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendment in the notification No. F-10/29/2002/CT/V (38) dated 27-3-2002 :-

AMENDMENT

1. In the Schedule of the notification entry related to S. No. 5 shall be omitted.
2. This amendment shall come into force with effect from 1-7-2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.